

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पेटिशन (सिविल) संख्या-350/1993 में दिनांक-14.08.2003 को पारित आदेश एवं आदेश के अनुसरण में स्वास्थ्य (चि0शि0प0क0 एवं दे0 चि0) विभाग द्वारा नामांकन की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-194 (1) दिनांक-24.04.2004, 310 (1) दिनांक-16.06.2005 एवं 737 (1) दिनांक-26.10.2003 के आलोक में निजी प्रक्षेत्र के मान्यता प्राप्त वैसे अभियंत्रण/पोलिटेकनिक संस्थान जिन्हें कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है, में छात्र/छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण आदि के लिए निम्न प्रकार से एक समिति का गठन किया जाता है:-

- |       |   |            |
|-------|---|------------|
| (i)   | श्री नरेन्द्र नारायण सिंह,<br>माननीय न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त)<br>पटना उच्च न्यायालय, पटना।<br>भागलपुर, दंगा न्यायिक जॉच,<br>आयोग का कार्यालय,<br>19 हार्डिंग रोड, पटना। | अध्यक्ष    |
| (ii)  | प्रधान सचिव,<br>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,<br>बिहार, पटना।   | सदस्य सचिव |
| (iii) | कुलपति,<br>आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय,<br>चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी कैम्पस,<br>मीठापुर बस स्टैण्ड के नजदीक,<br>पटना-800001   | सदस्य      |
| (iv)  | डा० जितेन्द्र सिंह,<br>पूर्व कुलपति, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय,<br>"ब्रज" पोस्ट ऑफिस के पीछे,<br>लालबहादुर शास्त्री नगर, पटना-800023                                     | सदस्य      |
| (v)   | श्री रवि शंकर सिन्हा,<br>सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता,<br>26-ए, आनन्दपुरी,<br>मनोरमा अपार्टमेन्ट,<br>पटना-800001   | सदस्य      |

समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्त तथा अन्य सुविधाएँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-  
सरकार के अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक:-वि० प्रा० (।।)व<sup>२</sup>-12/2008

3336 /पटना, दिनांक- 5-2-2014

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना को सूचनार्थ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. कुल सचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्वद, को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
5. स्वास्थ्य (चि०शि०प०क० एवं दे० चि०) विभाग/शिक्षा विभाग, बिहार को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
6. उप निदेशक (यो०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
7. आई०टी० मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

21/2/14

सरकार के अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग